

निर्णय न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट  
वजीरपुर जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी श्री अमित कुमार मीना, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर  
522/2024

तारीख रजू  
02.05.2024

तारीख निर्णय  
9/7/2025

भूरा पुत्र मांग्या, कोली निवासी वडौली कॉलोनी वजीरपुर तह0 वजीरपुर

—वादी

वनाम


1. अमृतलाल पुत्र किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर
2. किशनलाल पुत्र किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर
3. हरेतीलाल पुत्र किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर
4. मुथरीदेवी पत्नी किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर
5. सोनवाई पुत्री किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर
6. इंदरलाल पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर
7. वजरंगलाल पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर
8. भगवन्ता पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर
9. मनीराम पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर
10. रमेश पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर
11. सम्पत पुत्र छिंगालाल, कोली निवासी वजीरपुर
12. वल्लू पुत्र पून्या, कोली निवासी खानपुर करीली, तह0 टोडाभीम
13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर

9. शाखा प्रबन्धक, बैंक आफ वडौदा, शाखा वजीरपुर —प्रतिवादीगण

दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :- श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, वादी की ओर से  
निर्णय

वादी ने वादपत्र इस आशय का पेश किया कि भूमि ख0नं0 2219 रकवा 0.67 है0, खसरा नम्बर 2820 रकवा 0.46 है0, खसरा नम्बर 2821 रकवा 0.23 है0 कुल कित्ता 03 रकवा 1.36 है0 ग्राम वजीरपुर वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काशत व खातेदारी की भूमि है। जिस पर वादी व प्रतिवादीगण अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काशत करते चले आ रहे है। उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 ता 10 प्रत्येक का 1/40 - 1/40 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 का 1/4 हिस्सा है। पिछले कुछ समय से प्रतिवादीगण वादी को उसके 1/4 हिस्से की भूमि के कब्जे काशत में बाधा उत्पन्न करने लग गए है। वादी ने प्रतिवादीगण से पूछा तो उन्होंने धमकी दी की हम बिना विभाजन को तुम्हें भूमि काशत नहीं करने देंगे। वादी ने प्रतिवादीगण से सहमति से भूमि का विभाजन करवाने हेतु तहसील में चलने बाबत दिनांक 03.04.2024 को कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया इसलिए दावा प्रस्तुत



11

( 2 )

करना आवश्यक हुआ है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 2219 रकबा 0.67 है0, खसरा नम्बर 2820 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 2821 रकबा 0.23 है0 कुल किता 03 रकबा 1.36 है0 ग्राम वजीरपुर का विभाजन रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मीट्स एंड बाउन्ड्स के आधार पर किया जाकर वादी के हिस्से 1/4 भूमि को वादी के हिस्से में दर्ज कर वादी का खाता पृथक से कायम किया जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें न किसी अन्य से करावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल जमाबंदी संवत 2076-2079 खाता संख्या 770 ग्राम वजीरपुर प्रस्तुत की है।

बहस विद्वान वकील वादी सुनी जाकर वादी का वाद दि0 27.3.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार वजीरपुर से विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार वजीरपुर के पत्रांक भू0अ0/2024/559 दिनांक 18.6.2025 के साथ विभाजन स्कीम प्राप्त हुई।

विभाजन स्कीम पर वादी के विद्वान अभिभाषक को सुना गया। वादी के विद्वान अभिभाषक तहसीलदार वजीरपुर से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन किए जाने पर सहमत हैं। फलस्वरूप वादी का वाद फाइनल डिक्री किया जाना उचित है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद फाइनल डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 2219 रकबा 0.67 है0, खसरा नम्बर 2820 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 2821 रकबा 0.23 है0 कुल किता 03 रकबा 1.36 है0 ग्राम वजीरपुर का पक्षकारों के मध्य निम्नप्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है—

1. वादी भूरा कोली पुत्र मांग्या कोली ग्राम बडौली तहसील वजीरपुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 2819/1 रकबा 0.34 है0 ग्राम वजीरपुर रहेगी।
2. प्रतिवादी अमृतलाल पुत्र किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, किशनलाल पुत्र किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, हरेतीलाल पुत्र किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, मुथरीदेवी पत्नी किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, सोनबाई पुत्री किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, इंदरलाल पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, बजरंगलाल पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, भगवन्ता पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, मनीराम पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, रमेश पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, सम्पत पुत्र छिंगालाल, कोली निवासी वजीरपुर



AP

( 3 )

हिस्सा 1/3, बल्लू पुत्र पून्या, कोली निवासी खानपुर करीली, तह0 टोडाभीम हिस्सा 1/3 की खातेदारी में भूमि ख0नं0 2819/2 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 2820 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 2821 रकबा 0.23 है0 ग्राम वजीरपुर रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के नाम भूमि के पृथक पृथक खाते कायम किए जाकर भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज की जावे व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरुरस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय आज दिनांक 9/7/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अमित कुमार मीना )  
उप जिप्पा कलेक्टर  
वजीरपुर जिला कलेक्टर  
वजीरपुर

डिकरी व मुकदमे इत्तदाई  
(ऑर्डर 20, रूल 6-जाब्ता दीवानी)  
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil  
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम वजीरपुर  
इजलास अमित कुमार मीना, आर0ए0एस0  
उनवान

भूरा पुत्र मांग्या, कोली नि. बडौली कॉलोनी बजीरपुर तह0 वजीरपुर —वादी  
बनाम

1. अमृतलाल पुत्र किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर
  2. किशनलाल पुत्र किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर
  3. हरेतीलाल पुत्र किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर
  4. मुथरीदेवी पत्नी किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर
  5. सोनबाई पुत्री किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर
  6. इंदरलाल पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर
  7. बजरंगलाल पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर
  8. भगवन्ता पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर
  9. मनीराम पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर
  10. रमेश पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर
  11. सम्पत पुत्र छिंगालाल, कोली निवासी वजीरपुर
  12. बल्लू पुत्र पून्या, कोली निवासी खानपुर करीली, तह0 टोडाभीम
  13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील वजीरपुर
9. शाखा प्रबन्धक, बैंक आफ बडौदा, शाखा वजीरपुर —प्रतिवादीगण  
दावा विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. -522/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट मिनजानिब मुददई ——— मुद्दायलह पेश होकर, हुकम दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद फाइनल डिक्री किया जाता है। भूमि ख0नं0 2219 रकवा 0.67 है0, खसरा नम्बर 2820 रकबा 0.46 है0, खसरा नम्बर 2821 रकबा 0.23 है0 कुल किता 03 रकबा 1.36 है0 ग्राम वजीरपुर का पक्षकारों के मध्य निम्न प्रकार भूमि का विभाजन किया जाता है—

1. वादी भूरा कोली पुत्र मांग्या कोली ग्राम बडौली तहसील वजीरपुर की खातेदारी में भूमि ख0नं0 2819/1 रकबा 0.34 है0 ग्राम वजीरपुर रहेगी।
2. प्रतिवादी अमृतलाल पुत्र किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, किशनलाल पुत्र किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, हरेतीलाल पुत्र किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, मुथरीदेवी पत्नी किशोरी,




( 2 )

कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, सोनवाई पुत्री किशोरी, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, इंदरलाल पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, बजरंगलाल पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, भगवन्ता पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, मनीराम पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, रमेश पुत्र कन्हैया, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/30, सम्पत पुत्र छिंगालाल, कोली निवासी वजीरपुर हिस्सा 1/3, बल्लू पुत्र पून्या, कोली निवासी खानपुर करीली, तह0 टोडाभीम हिस्सा 1/3 की खातेदारी में भूमि ख0नं0 2819/2 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 2820 रकबा 0.46 है0, ख0नं0 2821 रकबा 0.23 है0 ग्राम वजीरपुर रहेगी।

उपरोक्तानुसार पक्षकारों के नाम भूमि के पृथक पृथक खाते कायम किए जाकर भूमि उनकी खातेदारी में दर्ज की जावे व इसी अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 9/7/2025 को जारी किया गया।



( अमित कुमार मीना )  
उप जिला कलेक्टर  
वजीरपुर

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दायलह	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प पर्ची महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक मीजान		

( अमित कुमार मीना )  
उप जिला कलेक्टर  
वजीरपुर